HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1392/2026

Arjun Mali S/o Vakta Ram, Aged About 26 Years, Narlai, Police Station Desuri, District Pali, Rajasthan. (Presently Lodged In Sub-Jail Bali Since 06.01.2026)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pritam Joshi
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Kumar Bhati, PP Mr. Akshay Kumar Surana Mr. Tarun Dudia

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना देसूरी, जिला पाली** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 64(1), 64(2)(एम), 308(2) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 26 वर्षीय नवयुवक है, जबकि पीड़िता 32 वर्षीय विवाहित महिला है। प्रार्थी/अभियुक्त व पीड़िता के मध्य जो संबंध बने हैं, वह आपसी सहमति से बने हैं। पीड़िता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ

बलात्कार किया है, किंतु ऐसा कोई वीडियो अथवा फोटोग्राफ बरामद नहीं हुआ है। पीड़िता व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती थी, जिस तथ्य को चार्जशीट में अंकित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आईटी एक्ट के आरोप भी नहीं लगाए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 06.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 06.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अर्जुन माली पुत्र वक्ताराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि

अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025 पुलिस थाना देसूरी, जिला पाली** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

47-sandeepJ/-